

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(4)/LA-2013/Cons 2 Law/88-97

Dated 11/ the September, 2013

NOTIFICATION

NO. F.14(4)/LA-2013/Cons 2 Law/88-97
-. The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 05th September, 2013 and is hereby published for general information:-

**"THE DELHI APPROPRIATION (NO.3) ACT, 2013
(DELHI ACT 06 OF 2013)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 27th August, 2013)

[5th September, 2013]

An Act to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the Financial Year 2013-14

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

- | | |
|---|---|
| Short title. | 1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 3) Act, 2013. |
| issue of
Rs. 531,42,00,000/-
from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2013-2014 | 2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of rupees five hundred thirty one crore forty two lac only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2013-2014 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule. |
| Appropriation. | 3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year. |

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(Rs. in thousands)

Sums Not Exceeding					
DEMAND NO	SERVICES AND PURPOSES		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2		3	4	5
3	Administration of Justice	Capital	30000	..	30000
4	Finance	Revenue	100	..	100
8	Social Welfare	Revenue	4486400	..	4486400
9	Industries	Revenue	797500	..	797500
11	Urban Development and Public Works	Revenue	200	..	200
Total			5314200	..	5314200

-sd-

(DR. SAURABH KULSHRESHTHA)
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग - IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
आठवों तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

सं० फा० 14(4)/एलए-2013/Cons Law/88-97

दिनांक 11/ सितंबर, 2013

अधिसूचना

सं० फा० 14(4)/एलए-2013/Cons Law/88-97 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 05 सितम्बर, 2013 को प्राप्त कर ली है और इसे जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

**दिल्ली विनियोग (संख्या 03) अधिनियम, 2013
(2013 का दिल्ली अधिनियम 06)**

(27 अगस्त, 2013 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[05 सितंबर, 2013]

वर्ष 2013-14 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से कुछ और राशि का भुगतान एवं विनियोजन प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त शीर्षक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 3) अधिनियम 2013 है।

531,42,00,000/- रुपयों का वर्ष 2013-2014 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए पांच सौ इक्तीस करोड बयालिस लाख रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2013-2014 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन।

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची
(धाराएं 2 व 3 देखें)

(रुपये हजारों में)

राशी इससे अधिक नहीं					
मांग संख्या	सेवायें एवं उद्देश्य	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संचित निधी पर भारित	जोड़	
1	2	3	4	5	
3	न्याय प्रशासन	पूंजी	30000	..	30000
4	वित्त	राजस्व	100	..	100
8	समाज कल्याण	राजस्व	4486400	..	4486400
9	उद्योग	राजस्व	797500	..	797500
11	शहरी विकास एवं लोक निर्माण	राजस्व	200	..	200
	जोड़		5314200	..	5314200

-sd-
(डा. सौरभ कुलश्रेष्ठ)
अतिरिक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)